

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उपत दुरुस्ती परहुत सिविलिय ट्रिब्युनल सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्द्राज दुरस्ती पररूप सहमति से किये जाने हेतु अभिलेख को दुरुस्ती की है तथा अभिलेख के आधार पर जो उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः उक्त इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				सर्वोक्त किये गया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	आत	आतदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर)	आतदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
32	व्यापार	शुभाशीष/परिण सुभाशीष/परिण शुभाशीष/परिण शुभाशीष/परिण	310 312	1.81	शुभाशीष/परिण सुभाशीष/परिण सुभाशीष/परिण सुभाशीष/परिण	310 311 312	1.81
33	11	11	316	0.87	11	316	0.87

क्र. सं. :- 365  
दिनांक :- 20/10/21

सिविल जज  
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.ड.बाना)  
 पं. सं. 2021/10/21 डी.ड.बाना  
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर

सिविल जज  
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.ड.बाना)  
 पं. सं. 2021/10/21 डी.ड.बाना  
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर

उप तहसीलदार को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थरण नहीं हो तो निर्णयानुसार कार्य प्रयुक्त करें।

उप तहसीलदार, मौलासर